

महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय,
तिरुवनन्तपुरम-695 001



OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Veritable Truth in Public Interest

P19/IV/DRSSA/CHHATTISGARH/16334

Dated: 06.05.2026

To,

0095,96

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Revised rate of Dearness Relief to Chhattisgarh Government pensioners @ 58% (7th pay scale) and @ 257% (6th pay scale) w.e.f. 01/01/2026- reg

Ref: Circular No. RULE/478/2025-FINANCE dated 08/04/2026 under Special Seal Authority dated 20/04/2026 issued by Office of the Principal Accountant General (A&E) Chhattisgarh, Raipur.

I am to enclose here with the copy of letter received from the Office of the Principal Accountant General (A&E) Chhattisgarh, Raipur, regarding above mentioned subject. The same is being placed on the official website of this office, [www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension>>download>> “Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners>> Chhattisgarh”](http://www.cag.gov.in/ae/kerala/en,under_pension>>download>>“Treasury_Endorsement_of_Orders_for_other_state_Pensioners>>Chhattisgarh”). A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl: As stated above.

Yours faithfully


Senior Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram
2. Sr. Accounts Officer,
Office of the Principal Accountant General (A&E)
Chhattisgarh- **For Information.**


Senior Accounts Officer

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)
छत्तीसगढ़, जीरो पॉइन्ट,
बलौदा बाजार रोड, रायपुर - 492 005



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्र.पी.ए/छत्तीसगढ़ राहत आदेश/50

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
CHHATTISGARH, ZERO POINT,
BALODA BAZAR ROAD, RAIPUR - 492 005

दिनांक / Date : 20-04-26

प्रति,

219

16334
28-4-26

| | | |
|-----|--|--------|
| 1. | वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र.-5, कोषालय भवन, तीस हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली | 110124 |
| 2. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आन्ध्र प्रदेश, विजयवाड़ा | 520002 |
| 3. | O/o The Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Naharlagun, Arunachal Pradesh | 791110 |
| 4. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, त्रैकामगाँव बेलटोला, गुवाहाटी | 781029 |
| 5. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, ऑडिट भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद | 389009 |
| 6. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना | 800001 |
| 7. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं-4, एव 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़ | 160047 |
| 8. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला | 171003 |
| 9. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू काश्मीर, एग्जीक्यूटिव ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर | 190009 |
| 10. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-डोरंडा, रांची | 834002 |
| 11. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पो.बॉ.-5329/5369 बेंगलोर | 560001 |
| 12. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी.रोड, तिरुवनंतपुरम | 695039 |
| 13. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) | 474002 |
| 14. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन. मैरिन लाइन्स, मुम्बई | 400020 |
| 15. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) -II महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर | 440001 |
| 16. | वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल | 795001 |
| 17. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलांग | 793001 |
| 18. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री वुआल्लहसंगा बिल्डिंग दिनथर, एजवल | 796001 |
| 19. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा | 797001 |
| 20. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडिसा, भुवनेश्वर | 751001 |
| 21. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़ | 160017 |
| 22. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर | 302005 |
| 23. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक | 737102 |
| 24. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु 361 अन्ना सक्काई टियनामपेट, चेन्नई | 600018 |

IV
अक्षर
mail box
translation
sent
4/5/26

दूरभाष/Tel. : +91-771-2285954

पी.बी.एक्स./PBX. : 0771-2281451

फैक्स/FAX : +91-771-2282607

ईमेल/Email : agaechhattisgarh@cag.gov.in

| | | |
|-----|---|--------|
| 25. | वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा] पो.ऑ.-कुंजाभवन, अगरतल्ला | 799006 |
| 26. | वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहारादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहारादून | 248171 |
| 27. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल, ऑडिट भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ | 226010 |
| 28. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) II उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, 20 सरोजिनी नायडू मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश | 211001 |
| 29. | महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बंगाल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकाता | 700001 |
| 30. | कंट्रोलर ऑफ अकाउण्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन, नई दिल्ली | 110021 |
| 31. | डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, पेंशन अनुभाग, पणजी, गोवा | 403101 |
| 32. | डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स एवं ट्रेजरी, पाण्डिचेरी सरकार, पाण्डिचेरी | 605001 |
| 33. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद | 500004 |
| 34. | वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, त्रिकुट-II भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली | 110066 |

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पेंशन पर दिनांक 01.01.2026 से सातवें वेतनमान में 58% एवं छठवें वेतनमान में 257% की दर से महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में
संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE (वित्त निर्देश 12/2026) दिनांक 08.04.2026.

महोदय,

संदर्भित निर्देशों का पालन करने एवं संबन्धित सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। संबन्धित आदेश की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट finance.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न: संदर्भित निर्देश की प्रति

भवदीय

bind
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

पृ.क्र. पी.ए./छत्तीसगढ़ राहत आदेश/

दिनांक:

प्रतिलिपि:

उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक: 1/374497/2026 दिनांक 09.04.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ता
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

वित्त निर्देश 12/2026

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08/04/2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें

--0--

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE, दिनांक 17-10-2025 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01.09.2025 से 55% (सातवें वेतनमान में) एवं 252% (छठवें वेतनमान में) की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से महंगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी:-

| वेतनमान | अवधि जब से देय है | महंगाई राहत में वृद्धि का प्रतिशत | वृद्धि उपरांत महंगाई राहत का प्रतिशत |
|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| सातवां वेतनमान | 1 जनवरी 2026 | मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 3% | 58% |
| छठवां वेतनमान | 1 जनवरी 2026 | मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 5% | 257% |

3/ उपरोक्त महंगाई राहत की पात्रता पेंशन एवं परिवार पेंशन, असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल


नगर, के ज्ञापन क्रमांक 677/279/2024/वित्त/नियम/चार, दिनांक 23.9.2024 (वित्त निर्देश 07/2024-संलग्न) एवं ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/ नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(इन्द्र प्रकाश रात्रे)
उप सचिव

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FINANCE DEPARTMENT
MANTRALAYA
MAHANADI BHAVAN, NAVA RAIPUR ATAL NAGAR**

No. RULE/478/2025-FINANCE Nava Raipur Atal Nagar, Dated 08.04.2026

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Bilaspur
All Heads of Department
All Commissioners of Divisions
All Collectors
Chhattisgarh.
Sub -Revised rate of dearness relief to Chhattisgarh
Government pensioners

The State Government had sanctioned 55% (in Seventh Pay Scale) and 257%(in Sixth Pay Scale) dearness relief w.e.f. 01.09.2025 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. RULE/478/2025-FINANCE, dated 17.10.2025.

2. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension payable to old pensioners shall also qualify for dearness relief.

| Pay Scale | Date from which payable | Rate of increase in Dearness Relief | Increased Dearness Relief |
|-------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Seventh Pay Scale | 01-January-2026 | 3% of Basic Pension/ Family Pension | 58% |
| Sixth Pay Scale | 01-January-2026 | 5% of Basic Pension/ Family Pension | 257% |


3. The above dearness relief shall be payable to the persons receiving pension, family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Chhattisgarh Government, Finance Department's Memo No. 677/279/2024/ Fin./Rule/IV, dated 23-09-2024 (Finance Circular 07/2024 Encl.) and Finance Department's Memo No. F.B.6/43/76/R-II/IV, dated 5-10-76.

4. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

5. Fraction of rupees of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the C.G.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Chhattisgarh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh


(Indra Prakash Ratre)
Deputy Secretary


पृ.क्रमांक RULE/478/2025-FINANCE,
प्रतिलिपि-

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08/04/2026

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
6. निज सचिव/निज सहायक, उपमुख्य मंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के निज सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/दुर्गा, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
23. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकारुण्ट डिपार्टमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न.8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई-400051
24. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
25. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर 382010
26. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
27. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, दिसपुर 781005
28. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
29. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002

30. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
31. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
32. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
33. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बेंगलूरु 560001
34. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
35. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
36. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
37. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
38. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
39. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
40. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
41. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
42. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
43. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
44. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
45. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
46. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101
47. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
48. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
49. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
50. महालेखाकार (लेखा/हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मैघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001
55. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
56. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001
57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002
58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020
62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बेंगलूरु 560002
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गौर्टन कंसल भवन शिमला 171003
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग, जयपुर 302001
69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001

70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, प्रयागराज 211001
71. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी विल्डिंग कोलकाता 700001
72. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
73. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, अगरतला 799001
74. वरिष्ठ उप महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन गंगटोक 717101
76. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001
77. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्वीप, पो. पणजी 403101
78. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
79. वेतन एवं लेखा अधिकारी क्रमांक 5 (पेंशन) तीस हजारी, दिल्ली 110006
80. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001
81. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110001
82. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ग्वालियर, मध्यप्रदेश
83. संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
84. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(सलिल साहू)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

